

उत्तराखण्ड शासन

पशुपालन अनुभाग-1

ई संख्या: 198595 / XV-1 / 24 / 2(13)5 / 47136

देहरादून: दिनांक 14 फरवरी, 2024

भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा-32(1)(ड) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् देहरादून में सदस्य नामित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा सेवा संघ के प्रस्तावानुसार एवं निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के ई पत्र संख्या: 19670/2024 दिनांक: 08.01.2024 द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर डा0 कैलाश उनियाल, वरिष्ठ पशुचिकित्साधिकारी, पशुचिकित्सालय सदर, देहरादून को 03 वर्ष के लिये परिषद में सदस्य नामित करने हेतु एतद्द्वारा श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

Signed by Rajendra Kumar Bhatt

Date: 14-03-2024 11:49:27

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)


संयुक्त सचिव

198595

संख्या: / XV-1 / 24 / 70181 तददिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ, देहरादून।
2. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड रुड़की को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
4. अपर निदेशक, पशुपालन, कुमौरु / गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून।
6. डा0 कैलाश उनियाल, वरिष्ठ पशुचिकित्साधिकारी, पशुचिकित्सालय सदर, देहरादून।
7. रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. प्रान्तीय अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य पशुचिकित्सा सेवा संघ, पशुधन भवन, मोथरोवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।



(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव